न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०–13 गाजियाबाद।

उपस्थित:-पीठासीन अधिकारी- सौरभ गोयल (एच.जे.एस.)(UP 2757)

विविध वाद संख्या 546/2018

(कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या-827/2018)

हरबल आदि बनाम प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक आदि

उपस्थितः-

1.अपीलार्थी संख्या 01 हरबल मय विद्वान अधिवक्ता श्री रामपाल सिंह राणा।

2. उत्तरदातागण की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री डी.के. चौधरी एवं श्री राजेश कुमार प्रजापति।

13-03-2024

पत्रावली प्रस्तुत। पुकार करायी गयी। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी. पत्रावली कागज संख्या 19 ग पर सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 19 ग

अपीलार्थी संख्या 01 हरबल की ओर से आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र कागज संख्या 19 ग मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त अपील अपीलार्थीगण द्वारा प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक व अन्य सहखातेदारों के विरुद्ध न्यायालय में योजित की गयी थी, अब अपीलार्थीगण को यह पता चला है कि प्रबन्धक आन्ध्रा बैंक शाखा नवयुग मार्किट गाजियाबाद का नाम जिसे अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बनाया गया था, बदलकर यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया हो गया है जिस कारण उपरोक्त अपील में प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक शाखा नवयुग मार्किट गाजियाबाद के स्थान पर प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवयुग मार्किट गाजियाबाद का संशोधन किया जाना अति आवश्यक है। उक्त संशोधन से अपील की नोइयत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पडेगा। अतः प्रार्थना की गयी है कि उक्त अपील में निम्न संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

<u>प्रस्तावित संशोधन</u>

1-यह कि अपील के पृष्ठ संख्या-1 पर ऊपर से पंक्ति नं० 13 जहां पर नम्बर-1 प्रबन्धक आन्ध्रा बैंक शाखा नवयुग मार्किट गाजियाबाद (रेस्पोन्डेन्ट) लिखा है, को कलमजद कर उसके स्थान पर प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवयुग मार्किट गाजियाबाद लिखा जाये।

2-यह कि अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में पंक्ति में पृष्ठ संख्या 01 पर ऊपर से पंक्ति नम्बर 1 में प्रबन्धक आन्ध्रा बैंक शाखा, नवयुग मार्किट गाजियाबाद (रेस्पोन्डेन्ट) लिखा है, को कलमजद करके उसके स्थान पर प्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवयुग मार्किट गाजियाबाद लिखा जावे।

2- उत्तरदातागण की तरफ से प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी. पत्रावली कागज संख्या 19 ग पर कोई आपत्तिपत्र योजित नहीं किया गया है।

3- सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। अपीलार्थी संख्या 01 की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त अपील में रेस्पोन्डेन्ट नं० 01 प्रबन्धक, आन्ध्रा बैंक शाखा नवयुग मार्किट गाजियाबाद के स्थान पर प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवयुग मार्किट गाजियाबाद का संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय सरकार के गजट नोटिफिकेशन 04 मार्च, 2020 Amalgamation of Andhra Bank And Corporation Bank into Union Bank of India Scheme, 2020 के अनुसरण में यह विदित है कि प्रस्तावित संशोधन मात्र औपचारिक संशोधन है जिससे अपील की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा तथा पक्षकार को किसी भी प्रकार की कोई हानि होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी संख्या 01 हरबल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी. पत्रावली कागज संख्या 19 ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

1- अपीलार्थी संख्या 01 हरबल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी. पत्रावली कागज संख्या 19 ग स्वीकार किया जाता है।

2- वांछित संशोधन 7 दिन के अन्दर किया जाये।

3- पत्रावली दिनांक 04.04.2024 को पेश हो।

(सौरभ गोयल)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०–13 गाजियाबाद।